

**बिहार सरकार**  
**उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।**

पत्रांक.....

पटना, दिनांक.....

सं0सं0-03/उनि0(औ.बिजघन विविध)-02/12

**प्रेषक :-**

उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

महाप्रबंधक,  
सभी जिला उद्योग केन्द्र, बिहार।

**विषय :-**

वित्तलेखे में शीर्ष 6885 उद्योग और खनिज को अन्य कर्ज, 02 पिछड़े क्षेत्रों का विकास, 800 अन्य कर्ज, 0001 बिक्री कर से छुट के बदले उद्योग को ब्याज रहित कर्ज के अंतर्गत प्रदर्शित हो रहे ऋणात्मक शेष के संबंध में।

**प्रसंग :-**

निदेशालय पत्रांक 3350 दिनांक 15.09.2016 पत्रांक 4265 दिनांक 06.12.2016 पत्रांक 4524 दिनांक 30.12.2016 पत्रांक 550 दिनांक 01.03.2017 पत्रांक 1574 दिनांक 30.05.2017 पत्रांक 2042 दिनांक 06.07.17, पत्रांक 3028 दिनांक 03.10.2017 एवं 3540 दिनांक 21.11.17

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के आलोक में विभागीय पत्रांक 3672 दिनांक 25.08.17 की प्रति अनुलग्नक सहित संलग्न करते हुए पुनः स्मारित करना है कि प्रासंगिक पत्रों द्वारा महालेखाकार (ले0 एवं ह0) कार्यालय की आपत्ति वित्तलेखे में शीर्ष 6885 उद्योग और खनिज को अन्य कर्ज, 02 पिछड़े क्षेत्रों का विकास, 800 अन्य कर्ज, 0001 बिक्री कर से छुट के बदले उद्योग को ब्याज रहित कर्ज के अंतर्गत प्रदर्शित हो रहे ऋणात्मक शेष के आलोक में विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन की मांग की गई थी, जो अबतक अप्राप्त है।

महालेखाकार कार्यालय की आपत्ति यह है कि वर्ष 2004-05 में प्रारम्भिक शेष शून्य था जबकि आपके द्वारा वर्ष 2004-05 में 146 हजार रुपये 2007-08 में 104 हजार रुपये का पुनर्भुगतान किया गया है, जो कि वित्तलेखे में प्रदर्शित है। अतः उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत कुल कितना ऋण किस वर्ष लिया गया था एवं वर्षवार कितने रुपये पुनर्भुगतान किया जा चुका है, कितना शेष है ताकि वित्तलेखे में प्रदर्शित हो रहे ऋणात्मक शेष को सुधारा जा सके।

अतः अनुरोध है कि संलग्न प्रपत्र में वांछित सूचना यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाय। ताकि वांछित सूचना विभाग को उपलब्ध कराया जा सकें।

**कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।**

**अनु0:- यथा उपरोक्त।**

विश्वासभाजन,

ह0/-

उद्योग निदेशक

बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 1.3.18

ज्ञापांक 861/

**प्रतिलिपि :-** उप उद्योग निदेशक(योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2/ आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक

बिहार, पटना।

28.2.18

(369)

बिहार सरकार  
उद्योग विभाग

पत्रांक:- 3672

पटना/दिनांक:- 25/08/2017

01/सो(विविध)-15/2011

SDI (RKT)

प्रेषक

उप उद्योग निदेशक,  
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में

उद्योग निदेशक, बिहार, पटना।

उप सचिव-सह-प्रभारी पदाधिकारी,  
प्रशाखा-6(स0), उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

विषय:- वित्तलेखे में शीर्ष 6885 उद्योग और खनिज को अन्य कर्ज, 02 पिछड़े क्षेत्रों का विकास, 800-अन्य कर्ज, 0001-विक्री कर से छूट के बदले उद्योग को ब्याज रहित कर्ज के अंतर्गत प्रदर्शित हो रहे ऋणात्मक शेष के संबंध में।

प्रसंग:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, बिहार, पटना का पत्रांक-लोन (2016-17)/196 दिनांक 31.03.2017 एवं स्मार पत्रांक लोन(2017-18)-56 दि0 21.07.17 एवं विभागीय पत्रांक 2102 दिनांक 22.05.17।

5-100/DE  
30/8/17

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग में महालेखाकार (ले0 एवं ह0) कार्यालय, बिहार, पटना एवं विभागीय पत्र/स्मार पत्रों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित करना है कि महालेखाकार कार्यालय द्वारा उक्त वांछित बिन्दुओं पर मांगे गये प्रतिवेदन विभाग को अबतक अप्राप्त है। उल्लेख्य है कि महालेखाकार कार्यालय से पुनः इसी संदर्भ में विभाग को स्मार पत्र भी प्राप्त हुए है (प्रति संलग्न)।

AKM

अतएव आग्रह है कि तत्संबंधी वांछित प्रतिवेदन विभाग को अविलंब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

30/8/17

25/08/2017  
उप उद्योग निदेशक,  
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

2439/RK  
30/8/17

50 पदा 0 (03)  
31/8/17

686/AKM  
31.8.17

1914/P-3  
11.9.17



Add. Secy

महालेखाकार (लेखा विभाग) का कार्यालय, बिहार, पटना  
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

09 AUG 2017  
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

No. लोन(2017-18)-56  
Dated. 21-07-17

08 AUG 2017  
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

504  
7-8-17

सेवा में,

प्रधान सचिव,  
उद्योग विभाग, बिहार सरकार, पटना

विषय :- वित्तलेखे में वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रदर्शित हो रहे ऋणात्मक शेष के संबंध में।

3310/12C  
9/8/17

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक लोन (2016-17) 196 दिनांक 31-03-17 के द्वारा (प्रति संलग्नक) माँगी गई सूचना अद्यतन अप्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि इस कार्यालय को यह स्पष्ट किया जाए कि संबंधित शीर्ष के अंतर्गत कुल कितना ऋण किस वर्ष लिया गया था एवं वर्षवार कितना रुपये का पुनर्भुगतान किया जा चुका है। तथा कितना शेष है, जिससे संबंधित शीर्ष के अंतर्गत वित्तलेखे में प्रदर्शित हो रहे ऋणात्मक शीर्ष को सुधारा जा सके।

3325/AS  
9.8.17

S.O. - I  
[Signature]

ज्ञापांक - लोन -  
व० ले० अ०  
विनियोग अनुभाग (स्थानीय)  
को सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

[Signature]  
वरीय लेखा अधिकारी  
बिहार, पटना।  
दिनांक -

370/2017(S-2)  
6/9/10 8/17  
[Signature]  
51409/2017  
108/2017



महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना  
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

No. लोन (2016-17) 196

Dated. 31-03-17

सेवा में,  
प्रधान सचिव,  
उद्योग विभाग,  
बिहार सरकार पटना।

विषय :- वितलेखे में शीर्ष 6885 उद्योग और खनिज को अन्य कर्ज 02 पिछड़े क्षेत्रों का विकास 800 अन्य कर्ज 0001 विकी कर से छूट के बदले उद्योग को ब्याज रहित कर्ज के अन्तर्गत प्रदर्शित हो रहे ऋणात्मक शेष के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि वर्ष 2004-05 में प्रारंभिक शेष शून्य था जबकि आपके द्वारा वर्ष 2004-05 में 146 हजार रुपये 2007-08 में 104 हजार रुपये का पुनर्भुगतान किया गया है जो कि वितलेखे में प्रदर्शित है।

आपसे अनुरोध है कि इस कार्यालय को यह स्पष्ट किया जाए कि उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत कुल कितना ऋण किस वर्ष लिया गया था एवं वर्षवार कितना रुपये का पुनर्भुगतान किया जा चुका है एवं कितना शेष है ताकि वितलेखे में प्रदर्शित हो रहे ऋणात्मक शेष को सुधारा जा सके।

भवदीय

ह०/-

वरीय लेखा अधिकारी/लोन,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक - लोन (2016-17)-197

प्रतिलिपि :-

व०ले०अ०

विनियोग अनुभाग को  
सूचनार्थ प्रेषित।

दिनांक -

सहायक लेखा अधिकारी।

बिहित प्रपत्र में

शीर्ष- वित्तलेखे में शीर्ष 6885 उद्योग और खनिज को अन्य कर्ज, 02 पिछड़े क्षेत्रों का विकास,  
800 अन्य कर्ज, 0001 बिक्री कर से छुट के बदले उद्योग को ब्याज रहित कर्ज  
जिला उद्योग केन्द्र का नाम :-

(राशि लाख में)

क्र०	वित्तीय वर्ष	उपर्युक्त शीर्ष का कुल मांग/अंतशेष राशि	उद्यमियों द्वारा वापस की गई राशि	कोषागार में जमा की गई राशि	उद्यमियों का विवरण	राशि किस शीर्ष में जमा की गई	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							

महाप्रबंधक का हस्ताक्षर,